सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 503 राँची, बुधवार, 12 नवम्बर, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2025

संख्या-06/ज०स०वि०-105-विविध-17/2012- 5075--जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०-1413 दिनांक-11.12.2008 द्वारा विभागान्तर्गत ढ़ाई करोड़ रूपये से अधिक लागत की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु Standard Bidding Document (SBD) के Section-3 की कंडिका-43 में नये उप कंडिका-43.3 को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है-

SECTION 3: CONDITIONS OF CONTRACT		
Clause	**Provision in Standard Bid Document of WRD**	**Proposed Amendment**
1	2	3
43.	**Payments**	
43.1	Payment should be adjusted for deduction for advance payments, retention, other recoveries in terms of contract & taxes at sources, as applicable under the law. The	As existing

	Employer shall pay the contractor the amounts certified by the Engineer, as early as possible. No claim/interest will be entertained by the department for delayed payment.	
43.2	Items of the Works for which no rate or price has been entered in will not be paid for by the Employer and shall be deemed covered by other rates and prices in the Contract.	As existing
43.3	-	Before executing the Works Contract/ raising bill for payment, the contactor must submit their GST Registration Certificate under Jharkhand Goods and Services Act, 2017.

2. Standard Bidding Document के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित एवं आमंत्रित किये जाने वाले निविदाओं तथा चल रही योजनाओं पर उपरोक्त संशोधन लागू होगा।

3. इस संशोधन को जल संसाधन विभाग के Standard Bidding Document में कंडिका-43.3 के रूप में स्थापित किया जाता है।

4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

प्रशांत कुमार,
सचिव
जल संसाधन विभाग,

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 503 - 50